न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म.प्र.)

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक– ......427....... / 2023

उज्जैन, दिनांक– 13 / 04 / 2023

मैं **राजेन्द्र सिंह सिंगार**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14 (1) एवं 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में दिए गए समस्त आदेशों को अपास्त करते हुए, उज्जैन जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन के संबंध में निम्नानुसार क्षेत्राधिकार की स्थानीय परिसीमाएं निश्चित करता हूँ :–

यह आदेश दिनांक ...17 APR 2023....... से प्रभावशील होगा।

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
1.	**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन**	जिला उज्जैन, देवास एवं शाजापुर	1– माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक अपराधों से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल)	2– निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों, परिवाद पत्रों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर** शेष समस्त आपराधिक प्रकरण :– **1– माधवनगर** **2– नानाखेड़ा** **3– नागझिरी** **4– आबकारी विभाग** **5– यातायात** **6– एस0टी0एफ0 थाना भोपाल की उज्जैन इकाई**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 1,00,00,001 /– से अधिक राशि के समस्त।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– आयकर अधिनियम, ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978, नापतौल अधिनियम 1983, म.प्र. सिनेमा(रेग्यूलेशन) एक्ट 1952, कॉपी राईट एक्ट 1957, प्रदूषण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	5– ऐसे समस्त प्रकरण जो विशेष अधिनियम से उत्पन्न हुए हो, जिनका उल्लेख पृथक से अपेक्षित होते हुए, आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, या जिनके अधीन अपराध के विचारण

Scanned with CamScanner

			का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	6– खादय अपमिश्रण निवारण अधिनियम के, नगर पालिका निगम या नगर पालिका परिषद के द्वारा प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	7– मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की समस्त कार्यवाहियॉ।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	8– श्रम आयुक्त कार्यालय उज्जैन से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विभिन्न श्रम अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		जिला उज्जैन	9– सी0जी0एस0टी0 एक्ट से संबंधित प्रकरण/परिवाद।
		जिला उज्जैन	10– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
2.	**श्री राजेश जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– महाकाल**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 50,00,001/– से रूपये 1,00,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र महाकाल** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियां ।
3.	**श्री वीरेन्द्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य**

Scanned with CamScanner

			मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– नीलगंगा**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक / परिवाद प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन व वन्य प्राणी विधि से संबंधित समस्त आपराधिक / परिवाद प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 25,00,001 / – से रूपये 50,00,000 / –तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	5– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23 / 12 / 2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र नीलगंगा** से उदभूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	6– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
4.	**श्री वीरेन्द्र वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– चिमनगंज मण्डी**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– तहसील उज्जैन एवं तहसील घाट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि0 1985 (एन0डी0पी0एस0) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त प्रकरण।

Scanned with CamScanner

		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 20,00,001/– से रूपये 25,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र चिमनगंज मण्डी** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
5.	**श्री अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– जी0आर0पी0 उज्जैन** **2– भेरूगढ़**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– नगर पालिका निगम अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 15,00,001/– से रूपये 20,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	5– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र जी0आर0पी0 उज्जैन एवं भेरूगढ़** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय

Scanned with CamScanner

			समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
6.	**श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— **1— महिला थाना** **2— जीवाजीगंज**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2— कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक—15—1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार पुलिस थाना माधवनगर, नानाखेड़ा, एस.टी.एफ., चिमनगंजमण्डी, पंवासा, महिला थाना, नीलगंगा, कोतवाली, महाकाल एवं नागझिरी सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/न्यायालय को हैं एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3— तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 7,50,001/— से रूपये 10,00,000/—तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र जीवाजीगंज एवं महिला थाना** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
7.	**श्री विनायक गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न

Scanned with CamScanner

			होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– नरवर**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– केन्द्रीय श्रम प्रवर्तन कार्यालय उज्जैन की ओर से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विभिन्न श्रम अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विस्फोटक अधिनियम 1884 के समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 10,00,001/– से रूपये 15,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	5– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र नरवर** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5= माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
8.	**श्री सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	**1– ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– देवासगेट**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 6,00,001/– से रूपये 10,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– पुलिस थाना **नानाखेड़ा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के आवेदन से संबंधित कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी	4– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र

Scanned with CamScanner

		महल) एवं घट्टिया	सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र देवासगेट एवं नानाखेड़ा** से उदभूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
9.	**श्री प्रतीक सिंह तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	**1– ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– चिंतामण गणेश**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 4,00,001/– से रूपये 6,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र चिंतामण गणेश** से उदभूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
10.	**श्री कुशाग्र अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	**1– ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– पंवासा**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– पुलिस थाना **माधवनगर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के आवेदन से संबंधित कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा

Scanned with CamScanner

		महल) एवं घट्टिया	क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 2,00,001/– से रूपये 4,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र पंवासा एवं माधवनगर** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5–माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
11.	**सुश्री पूजा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	जिला उज्जैन	1– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 से उद्भूत समस्त आपराधिक/परिवाद प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		जिला उज्जैन	2– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
12.	**सुश्री अंकिता प्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक–15–1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार पुलिस थाना भेरूगढ़, घटिया, जीवाजीगंज, देवासगेट, जी.आर.पी. उज्जैन, खाराकुआ, चिंतामण गणेश एवं नरवर सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें /न्यायालय को है एवं घरेलु संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– परिवार न्यायालय उज्जैन के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणो एवं **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार** मे आने वाले प्रकरणों को छोड़कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 125 सें 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्भुत समस्त प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं

Scanned with CamScanner

			संहिता की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्भुत समस्त प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
13.	**सुश्री सोनाली वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	**1– ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– घटि्ट्या**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 1,00,001 / – से रूपये 2,00,000 / –तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23 / 12 / 2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र घटि्ट्या** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
14.	**सुश्री प्रियंका सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	**1– ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– खाराकुआं**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– पुलिस थाना **नागझिरी** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के आवेदन से संबंधित कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा

Scanned with CamScanner

		(ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 50,001/– से रूपये 1,00,000/–तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र खाराकुंआ एवं नागझिरी** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
15.	**श्री अर्पित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– कोतवाली**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 50,000/– से कम राशि के समस्त।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र कोतवाली** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
		तहसील–बड़नगर	
16.	**श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर**	जिला उज्जैन	1– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।

Scanned with CamScanner

17.	**श्री अंकित श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर**	तहसील बड़नगर	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– बड़नगर**
		तहसील बड़नगर	2– तहसील बड़नगर सीमा क्षैत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील बड़नगर	3– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र बड़नगर** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4– तहसील बड़नगर सीमा क्षैत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
18.	**सुश्री सोनल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर**	तहसील बड़नगर	1– निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षैत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– भाटपचलाना** (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग)
		तहसील बड़नगर	2– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक–15–1/2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/न्यायालय को है एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील बड़नगर	3– तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील बड़नगर	4– तहसील बडनगर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलें जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्व हुए हो।

Scanned with CamScanner

		तहसील बड़नगर	5– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र भाटपचलाना** (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	6– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
19.	**सुश्री सोनम देहारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर**	तहसील बड़नगर	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– इंगोरिया** (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग)
		तहसील बड़नगर	2– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र इंगोरिया** (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीयश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
		<u>तहसील–खाचरौद</u>	
20.	**श्री पंकज बुटानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरौद**	तहसील खाचरौद	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– खाचरौद** **2– भाटपचलाना** (तहसील खाचरौद में आना वाला भाग) **3– बिरलाग्राम** (तहसील खाचरौद में आना वाला भाग)
		तहसील खाचरौद	2– तहसील खाचरौद सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन विधियों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील खाचरौद	3– तहसील खाचरौद सीमा क्षेत्र में

Scanned with CamScanner

			उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील खाचरौद	4– तहसील खाचरौद सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलें जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्व हुए हो।
		तहसील खाचरौद	5– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र खाचरौद, भाटपचलाना** (तहसील खाचरौद में आना वाला भाग) एवं **बिरलाग्राम** (तहसील खाचरौद में आना वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	6– माननीय सत्र न्यायाधीयश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
		तहसील–नागदा	
21.	**श्री संतोष कुमार तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा**	तहसील नागदा	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– नागदा**
		तहसील नागदा	2–तहसील नागदा सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन विधियों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील नागदा	3– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र नागदा** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
22.	**श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट**	तहसील नागदा	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र

Scanned with CamScanner

	प्रथम श्रेणी, नागदा		से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– उन्हेंल**
		तहसील नागदा	2– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक–15–1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/न्यायालय को है एवं तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त प्रकरण।
		तहसील नागदा	3– तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील नागदा	4– तहसील नागदा सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलें जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्व हुए हो।
		तहसील नागदा	5– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र नागदा** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	6– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
23.	**सुश्री सौम्या गौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा**	तहसील नागदा	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– जी0आर0पी0 चौकी नागदा**
		तहसील नागदा	2– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र जी0आर0पी0 चौकी नागदा** से उद्भूत धारा 52 क

Scanned with CamScanner

			के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
24.	**श्री हिमांशु पालीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा**	तहसील नागदा	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– बिरलाग्राम** **(नागदा तहसील में आने वाला भाग)**
		तहसील नागदा	2– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम** (नागदा तहसील में आने वाला भाग) से उद्‌भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
		<u>तहसील–तराना</u>	
25.	**श्री राकेश कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना**	तहसील तराना	1– अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– तराना**
		तहसील तराना	2– तहसील तराना सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन विधियों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील तराना	3– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र तराना** से उद्‌भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।

Scanned with CamScanner

26.	**श्रीमती सपना शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना**	तहसील तराना	1— अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— **1— कायथा** **2— मक्सी** (तहसील तराना में आने वाला भाग)
		तहसील तराना	2— कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश कमांक 02/एक—15—1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील तराना सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/ न्यायालय को है एवं घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील तराना	3— तहसील तराना सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील तराना	4— तहसील तराना सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलें जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्व हुए हो।
		तहसील तराना	5— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र कायथा एवं मक्सी** (तहसील तराना में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	6— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
27.	**श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महिदपुर, जिला उज्जैन**	तहसील तराना	1— अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— **1— माकड़ौन**
		तहसील तराना	2— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022

Scanned with CamScanner

			अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र माकड़ौन** से उद्‌भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
		<u>तहसील–महिदपुर</u>	
28.	**श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना**	तहसील महिदपुर	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1–महिदपुर**
		तहसील महिदपुर	2– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र महिदपुर** से उद्‌भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
29.	**श्री आकाश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महिदपुर**	तहसील महिदपुर	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– राघवी**
		तहसील महिदपुर	2– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र राघवी** से उद्‌भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं

Scanned with CamScanner

			कार्यवाहियों।
30.	**सुश्री आयुषी चौबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी महिदपुर**	तहसील महिदपुर	1– ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोडकर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– महिदपुर रोड** **2– झारडा**
		तहसील महिदपुर	2– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक–15–1 /2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील महिदपुर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उद्भुत महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें /न्यायालय को है एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील महिदपुर	3– ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर तहसील महिदपुर सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं. की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधि0 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील महिदपुर	4– तहसील महिदपुर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलें जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्व हुए हो।
		तहसील महिदपुर	5– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में **आरक्षी केन्द्र महिदपुर रोड एवं झारडा** से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	6– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ।

: : सामान्य : :

01. कार्य–विभाजन आदेश के अनुसार उपरोक्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन के बिना अनुमति किसी भी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

02. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, स्थानान्तरण होने, ट्रेनिंग पर होने, मेटरनीटि लीव/सी0सी0एल0 पर होने या अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण अनुपस्थित होने पर जाने की स्थिति में उनके न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले संक्षिप्त विचारण के मामले अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होगे और उस संबध में उसका केन्द्रीय पंजीयन उसी न्यायालय में होगा, जिस न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया जावेगा।

03. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उज्जैन जिले में चलित न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संपादित की जा सकेगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर चलित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर संपादित करेगें।

04. अंतिम प्रतिवेदन (खात्मा) स्वीकृति हेतु क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जावेगे, जबकि खारजी से संबंधित सभी कार्यवहियॉ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगी।

05. तहसील उज्जैन एवं घटिट्या से उद्भूत होने वाले आबकारी विभाग से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर आबकारी विभाग शेष प्रकरणों को संबंधित तहसील मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

06. यदि स्थायी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण वर्तमान में किसी न्यायालय में अन्य आरोपियों के संबंध में लंबित है, तो वारंट और आरोपी को उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिस न्यायालय में वह प्रकरण लंबित है। प्रकरण लंबित नहीं होने की स्थिति में, स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो गिरफ्तारी वारंट तामीली के पश्चात उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे (उत्तरवर्ती न्यायालय का निर्धारण सिविल पदनाम के आधार पर सिविल प्रभार आदेश अनुसार किया जावेगा)। अन्य किसी परिस्थिति में सिविल प्रभार आदेश अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

07. माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय एवं अन्य वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त आदेश/निर्णय से संबंधित कार्यवाही तथा निराकृत किसी अन्य प्रकरण से संबंधित विविध आवेदन, अर्थदण्ड/प्रतिकर/अन्य राशि जमा करने, अर्थदण्ड/प्रतिकर/अन्य राशि की वापसी आदि के आवेदन प्रस्तुत होने की स्थिति में, यदि प्रकरण से संबंधित न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो ऐसी कार्यवाही एवं/या आवेदन उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। अन्य स्थितियों में ऐसी कार्यवाही एवं/या आवेदन जिस पुलिस थाना से संबंधित है, उसी पुलिस थाने से संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

Scanned with CamScanner

08. कंडिका 5 एवं 6 के संबंध में लेख है कि पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट के स्थान पर, या उसके पश्चात क्रमानुसार पदस्थ होने वाला मजिस्ट्रेट पद उत्तरवर्ती माना जावेगा। जहां यह ज्ञात नही हो कि कंडिका 5 एवं 6 की कार्यवाही वाले अधिकारी का पद उत्तरवर्ती न्यायालय कौन है, तो वहां प्रकरण या कार्यवाही या पत्रावली जिस पुलिस थाने से संबंधित है, उसी पुलिस थाने से संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

09. किसी/किन्हीं न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण अथवा अवकाश पर रहने की स्थिति में प्रभारी मजिस्ट्रेट कंडिका क्रमांक 2 के अनुसार संक्षिप्त प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ उक्त न्यायालय के समस्त दांडिक कार्य करेंगे, जिसमें सुपुर्दगी एवं जमानत आवेदन का निराकरण, रिमाण्ड कार्यवाही का करना, अभियोग पत्र का ग्रहण करना तथा प्रतिलिपि के आवेदन मंजुर करना भी शामिल है।

10. शरीर के प्रति कारित अपराधों से उदभूत क्रॉस प्रकरणों को उपार्पित करने की दशा में क्रॉस प्रकरण को भी उसी के साथ उपार्पित/प्रेषित किया जाये और क्रॉस प्रकरण न होने की दशा में आदेश पत्रिका में इस तथ्य का उल्लेख करें।

11. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की अवस्था में कोई साक्षी 5 वर्ष से पुराने मामले में साक्ष्य हेतु उस न्यायालय में उपस्थित होता है, तब उस साक्षी की साक्ष्य उस न्यायालय के द्वारा ली जावेगी, जिसके पास उस न्यायालय का प्रभार होगा।

12. अपंजीकृत परिवादों को पंजीयन के प्रक्रम पर आने के पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर, एक माह में पंजीकृत करने का प्रयास किया जावे।

13. दिनांक 13 APR 2023 के पूर्व के समस्त आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक एवं उसके पश्चात किये गये संशोधन निरस्त समझे जायेंगें।

14. यह कार्यविभाजन पत्रक आगामी कार्यविभाजन पत्रक के प्रभाव में आने तक प्रभावशील रहेगा।

अनुमोदित

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)

13/4/23
(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

<u>प्रतिलिपि</u> :-

क्रमांक- ..../2023 उज्जैन, दिनांक-13/04/2023

1- माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48 /98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन मे सादर प्रेषित।

Scanned with CamScanner

2— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3— माननीय श्री/श्रीमती .... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।

4— श्री/श्रीमती/कु. .... ए.सी. जे.एम./जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5— अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6— जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।

7— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सुचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।

(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

Scanned with CamScanner